10/18

	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
	2	3

19.7.19

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
पी0ए0 वाद सं0– 13/2013–14
आवेदक– प्रधान किस्कू
बनाम
16 आना रैयत, मौजा– कुसमा
आदेश

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.12.2013 को आवेदन दाखिल कर मौजा कुसमा के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। दाखिल आवेदन पत्र की जाँच हेतु अंचल अधिकारी, उधवा को आवेदन पत्र की छाया प्रति भेजी गयी एवं 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस तामिला प्राप्ति के पश्चात आवेदक के द्वारा आवेदन दाखिल कर मौजा कुसमा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किये है। पूर्व प्रधान बाबलु किस्कू आवेदक के पिता है। आवेदक जमाबंदी रैयत के वंशज से आते हैं। मौजा के 16 आना रैयतों ने भी दिनांक 09.12.2013 को आम सभा कर आवेदक को सर्व सम्मति से मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित किये है।

श्री सोमलाल किस्कू, पिता– बाबलू किस्कू ने एक आवेदन दाखिल कर प्रधान किस्कू के प्रधान बनने में आपत्ति दर्ज किये हैं एवं उक्त मौजा का प्रधान स्वयं बनने हेतु अनुरोध किये है। परन्तु मौजा के 16 आना रैयतों की ओर से कोई स्पष्ट मंतव्य दाखिल नहीं किये हैं। दिनांक 09.12.2013 को प्रधान बहाल करने से संबंधित एक आम सभा का आयोजन लोबिन किस्कू की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें सर्व सम्मति से श्री प्रधान किस्कू, पिता– स्व0 बाबलू किस्कू को प्रधान के रूप में चयन किया गया है, जिससे श्री सोमलाल किस्कू का दावा सही प्रतीत नहीं होता है।

अंचल अधिकारी, उधवा ने अपने पत्रांक 183/रा0, दिनांक 18.06.2014 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, उधवा ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा कुसमा के पूर्व बहाल प्रधान बाबलु किस्कू के मृत्यू के पश्चात उनके पुत्र आवेदक प्रधान किस्कू प्रधानी पद के लिए आम बैठक कर सर्व सम्मति से प्रधान पद के लिए मौजा के 16 आना रैयतो से सहमति प्राप्त कर प्रधानी पद पर बहाल करने हेतु सहमति जाहिर की है। मौजा के 16 आना रैयतों को भी प्रधान किस्कू के प्रधानी पद पर नियुक्ति से कोई आपत्ति नहीं है।

अतएव अंचल अधिकारी, उधवा के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों की सहमति से आवेदक प्रधान किस्कू को संथाल परगना काशतकारी अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत प्रधान के पद पर नियुक्ति किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, उधवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

ज्ञापांक 308/प्र0
दिनांक 23.7.19